# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :– प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0—605 / 2025

प्रविष्टि दिनांक—30.10.2025

मनीष पुत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राहाण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

बनाम

प्रार्थी

तहसीलदार साहब निवाई तहसील निवाई जिला—टोंक (राज०

— अप्रार्थीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री सीताराम शर्मा —प्रार्थी
पेरोकार सरकार— तहसीलदार निवाई

**निर्णय**

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू—राजस्व अधिनियम**

**दिनांक**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 / 2 रकबा 0.2529 हे. वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का भावंता तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है एवं फसल काश्त कर अपने परिवार का लालन—पालन करता रहा है। प्रार्थी की जमीन के लगवा आराजी खसरा नम्बर 494 / 1 रकबा 0. 0632 हैक्टेयर बंजड़—2 स्थित है जो मौके पर पड़त पड़ी हुई है। प्रार्थी अपने कब्जे अनुसार काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु कम्प्यूटरीकृत शीट बनाते वक्त मौके पर जाकर नहीं बनायी गई है। जिसे प्रार्थी मौके कब्जे अनुसार दुरूस्त कराने का अधिकारी है। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई ने बिना न्यायालय आदेश के गलत तरमीम कम्प्यूटरीकृत वन टू वन नक्शा शीट में की है जिसे मुताबिक कब्जा काश्त दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी की भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात खसरा नम्बर 494 / 2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर बारानी—3 वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का भावंता भू.अ.नि. निवाई तहसील निवाई जिला टोंक की तरमीम वर्तमान नक्शा शीट में से दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार कम्प्यूटरीकृत शी में तरमीम किया जाना न्यायोचित है।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप नकल नक्शा ट्रेस एवं जमाबन्दी प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि वाके ग्राम जयसिंहपुरा में खसरा नम्बर 494 / 2 रकबा 0. 2529 है0 मनीष शर्मा पुत्र रामअवतार शर्मा हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी तरमीम लट्ठा शीट में नही हो रखी है ऑनलाईन शीट के अन्तर्गत उक्त खसरा नम्बर की तरमीम हो रखी है। बटरशीट के अन्तर्गत जहा उक्त खसरा नम्बर की तरमीम हो रखी है वहाँ मौके पर खातेदार का कब्जा नही है बल्कि उक्त स्थान के लगवा अन्यत्र स्थान पर कब्जा हो रखा है। यह है कि खातेदार का कब्जा मौके पर मूल खसरा नम्बर 494 के अन्तर्गत जिस स्थान पर है उसके मुताबिक बटरशीट में तरमीम नहीं हो रखी है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 494 / 2 रकबा 0.2529 हैक्टेयर बारानी—3 वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का भावंता भू.अ.नि. निवाई तहसील निवाई जिला टोंक की तरमीम वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी

नक्शा शीट में से दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त अनुसार कम्प्यूटरीकृत शीट में तरमीम कीये जाने हेतु तहसीलदार निवाई को आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थी का कब्जा खसरा नम्बर 494/2 में वर्तमान ऑनलाई शीट के अनुसार नहीं है। प्रार्थी के कब्जे–काश्त अनुसार रिपोर्ट में संलग्न नक्शा ट्रेस में तरमीम शुद्धि हेतु प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थी की भूमि की वर्तमान तरमीम के स्थान पर पानी का बहाव क्षेत्र है इसलिए रिपोर्ट में संलग्न नक्शा शीट अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा न0 494/2 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे–काश्त अनुसार किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नलम्बर 494/2 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे–काश्त अनुसार नहीं की जाकर ऑनलाई शीट में अन्यत्र स्थान पर की गई है जहां पर पानी का बहाव क्षेत्र है। मूल खसरा नम्बर 494 में से प्रार्थी की भूमि की तरमीम कब्जे–काश्त एवं अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुये करना राजस्व विभाग का दायित्व था। पेरोकार सरकार द्वारा भी रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा न0 494/2 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे–काश्त अनुसार किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 बाबत् दुरूस्त किये जाने शीट तरमीम स्वीकार करना उचित समझता है।

## आदेश

फलतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट 1956 भूमि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 0.2529 वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का भावंता तहसील निवाई स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि खसरा नम्बर 494/2 रकबा 0.2529 हैक्ट. वाके ग्राम जयसिंहपुरा पटवार हल्का भावंता तहसील निवाई की तरमीम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आपकी रिपोर्ट में संलग्न प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार अमल दरामद कर, पालना से अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 22/12/23 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी निवाई